

15/23
22/3/23

फर्द अहकाम
अज अदालत - जिला कलक्टर, - मुकाम - भरतपुर
डा0 रामकिशन जाटव बनाम लोकसूचना अधिकारी कोषाधिकारी भरतपुर
किरम मुकदमा - अपील आर.टी.आई. नम्बर 15 सन् 2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशयल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
16.3.2023 22/3/23	<p>अपीलान्त डा0 रामकिशन जाटव पुत्र घीसाराम, पूर्व वरिष्ठ शोध अधिकारी, नि. 152 दीनदयाल नगर आर.बी.एम.एच. के पीछे भरतपुर की यह अपील लोक सूचना अधिकारी, कोषाधिकारी भरतपुर के खिलाफ प्राप्त हुई है। अपील दर्ज रजिस्टर हो। अपील की प्रति लोक सूचना अधिकारी, कोषाधिकारी भरतपुर को प्रेषित कर अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना उपलब्ध नहीं कराने बाबत अपील पर रिपोर्ट तलब की जावे। यदि अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध करादी गई हो तो उसकी प्राप्त रसीद मंगाई जावे। पत्रावली दिनांक 4-4-2023 को पेश हो।</p> <p><i>[Signature]</i> जिला कलक्टर भरतपुर (राज0)</p> <p>8/6/23 पत्रावली दिनांक से निरीक्षण आज पेश हुई पत्रावली का अवलोकन किया गया लोक सूचना अधिकारी से प्राप्त जवाब का अवलोकन किया गया लोक सू. अधिकारी के स्तर पर कोई सूचना पेटिशन नहीं होने के कारण प्रकरण स्वामिजन को सौंपा है।</p> <p>नोट: प्रस्तुत अपील इसी स्तर पर स्वामिजन को सौंपा है पत्रावली फ़ैसल सुमार ही बाद कार्यवाही दारिखत देफ़र ही</p> <p><i>[Signature]</i> जिला कलक्टर भरतपुर</p>	306 29/3/23 पत्रावली

383-384
8/6/23
में निर्णय जति
मिजाबाने बाबर